भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1884

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2026

हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु संस्थागत ऋण

1884. सुश्री कंगना रनौतः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में संस्थागत ऋण प्राप्त करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की योजना-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त राज्य में ऐसी योजनाओं के अंतर्गत एमएसएमई को कुल कितना ऋण स्वीकृत और संवितरित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने ऋण आवश्यकताओं, वित्तपोषण के अंतर और विशेषकर पर्वतीय राज्यों और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यशील एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में कोई आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में समय पर और किफायती ऋण तक पहुंच में सुधार करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और एमएसएमई के विकास को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रमुख योजनाओं के तहत दी गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(ग) और (घ) : वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा वर्ष 2025 के दौरान किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 75% उत्तरदाताओं ने औपचारिक ऋण का लाभ प्राप्त होने की सूचना दी, 8% ने व्यापक तौर पर अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर विश्वास दर्शाया, जबकि 17% ने किसी भी प्रकार के ऋण का लाभ नहीं लिया। इसके अलावा, सरकार ने, अन्यों के साथ-साथ, हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच औपचारिक ऋण का लाभ प्राप्त करने संबंधी सुविधा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों(एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) को लागू किया जाता है ताकि एमएसई को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवरेज प्रदान की जा सके।

ii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत शामिल है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

iii. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए दिनांक 08.04.2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरु की गई थी। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और जिसके पास छोटे व्यवसाय उद्यम के लिए एक व्यवसाय योजना है, कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय क्रियाकलापों करने वाली गतिविधियों के लिए योजना के तहत इस ऋण का लाभ उठा सकता है।

iv. हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सूचित किया गया है कि उपलब्ध योजनाओं और सब्सिडी के बारे में जागरुकता के लिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और एसएचजी के सहयोग से सूचना के प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं और सामुदायिक संस्थाओं का उपयोग किया जाता है।

अनुबंध

"हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु संस्थागत ऋण" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1884, जिसका उत्तर दिनांक 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

(i) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

विगत 3 वर्षों के लिए पीएमएमवाई योजना ऋण – हिमाचल प्रदेश			
			[राशि करोड़ रुपए में]
वित्त वर्ष	खातों की सं.	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि
2023-24	1,46,471	3,354.69	3,241.99
2024-25	1,10,348	3,099.89	3,076.75
2025-26	1,60,039	3,756.73	3,723.67

(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस)

एमएसई के लिए सीजीएस – अनुमोदित गारंटियां – हिमाचल प्रदेश		
वित्त वर्ष	अनुमोदित गारंटियों की सं.	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
2023-24	20,600	2,080
2024-25	23,750	2,411
2025-26	27,417	3,325

(iii) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

विगत तीन वर्षों के लिए पीएमईजीपी का विवरण – हिमाचल प्रदेश		
		[राशि करोड़ रुपए में]
वित्त वर्ष	इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
2023-24	974	36.48
2024-25	796	29.32
2025-26	902	33.14